**आफथालमिक सहायकों के पंजीकरण के लिए परिषद्**

1692. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द दासवान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन आफथालमिक सहायकों के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने आफथालमिक सहायकों के पंजीकरण के लिए अभी तक किसी परिषद् की व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार आफथालमिक सहायकों के पंजीकरण के लिए कब तक एक परिषद् का गठन करने का विचार रखती है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने स्वास्थ्य की विभिन्न श्रेणियों तथा पराचिकित्सा कार्यकर्ताओं, जिसमें नेत्र विज्ञान सहायकों जिनके लिए एक बहुप्रयोजन परिषद का सुझाव दिया गया है, के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट परीक्षाधीन है।

**Concession to Import Equipments to Hospitals**

1693. DR. YELAMANCHILI SIVAJIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILIY WELFARE be pleased to state:

(a) how many hospitals diagnostic centres in Andhra Pradesh are sanctioned concessions to import equipments;

(b) what is the value of relief in each;

(c) what are the guidelines, terms and reference; and

(d) the number of applications which are still pending for clearance and since when these are pending?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) 13 during 1992 and 1993.

(b) A statement is enclosed. (*See* below).

(c) The exemption from Customs Duty is given in accordance with the Notification No. 64/88-Cus., dated 1-3-1998, a copy of which is available in the Parliament Library.

(d) Duly completed applications of two hospitals are pending; one from 14th September, 1993 and the other from 6th December, 1993

**STATEMENT**

*Details regarding concessions to import equipments for the hospitals.*

| Sl. No. | Name of the Hospital | Estimated value of Customs Duty Exemption on imported equipment on production of CDEC issued by the Dte. G.H.S. with the Asstt. Collector of Customs |
|---|---|---|
| | | (In Rupees) |
| 1 | Deccan Hospital, Hyderabad | 10,721,086 |
| 2 | Shushruta Diagnostic and Research Pvt. Limited, Secundrabad. | 943,975 |
| 3 | Dolphine Diagnotic Services, Vishakapatnam. | 972,800 |
| 4 | Omni Hospital Corporation Pvt. Limited, Hyderabad. | 42,00,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Sri Satya Sai Central Trust, Hyderabad. | 1,38,99,299 |
| 6 | C.D.R. Diagnostic Clinic, Secundrabad. | 9,79,200 |
| 7 | Kaminani Hospital Ltd. Hyderabad | 281,65,256 |
| 8 | Thakur Hariprasad Institute of Research and Rehabilitation for mentally handicapped, Hyderabad. | 91,929 |
| 9 | Jaya Nursing Home Pvt. Ltd. Warrangal | 46,00,000 |
| 10 | Kailash Diagnostic Centre and Rehabilitation Centre, Hederabad. | 650,980 |
| 11 | Andromeda, Hyderabad. | 316,800 |
| 12 | Share Medical Central, Secunderabad | 19,180,192 |
| 13 | Nagarjune Hospital Pvt. Limited Vijayawada | 329,44,738 |

**दिल्ली में अस्पतालों में आरक्षित श्रेणी के पदों को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से भरा जाना**

1694. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मौलाना आजाद अस्पताल, डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में जूनियर रेजीडेन्टस और सीनियर रेजीडेन्ट्स डाक्टरों की नियुक्तियों में आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी आरक्षित पदों को भर दिया गया है और इस समय कितने आरक्षित पद रिक्त हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की तदर्थ नियुक्ति की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली के अस्पतालों में और देश के अन्य अस्पतालों में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीनियर रेजीडेंटों के रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या इस प्रकार है:—

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 35 ¥ (निदर्शकों सहित)

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल — 23

सफदरजंग अस्पताल — 30

अस्पताल आरक्षित श्रेणियों के पात्र आवेदकों के उपलब्ध न होने पर ही सामान्य श्रेणी की तदर्थ नियुक्तियां कर रहे हैं। ऐसा आवश्यक रोगी परिचर्या सेवा को बनाए रखने के हित में किया जाता है।

(ङ) ऐसी तदर्थ नियुक्तियों की संख्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा० राम मनोहर अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में क्रमशः 24, 11, 20 और 5 है।

**भारत में मनोरोग चिकित्सालय**

1695. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय मनोरोगियों की चिकित्सा के लिए कितने मानसिक रोग चिकित्सालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन अस्पतालों में पड़ोसी देशों के रोगियों के लिए कतिपय स्थान भी आरक्षित हैं; यदि हां, तो देशों के नाम क्या-क्या हैं और ये अस्पताल कहां-कहां स्थित हैं और ऐसे रोगियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गये हैं;

(ग) इस समय भारत के विभिन्न मनोरोग चिकित्सालयों में इलाज के लिए कितने विदेशी रोगियों को दाखिल किया गया है और क्या इसके लिए उन देशों से भारत सरकार को किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०**